

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं 06

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन -0141-2706069

rajssaquality@gmail.com

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/समृद्धि/2025-26/16883761

दिनांक 31/7/2025

समृद्धि 2025-26 हेतु दिशा-निर्देश

समृद्धि शिक्षकों के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर (9-12) के पाठ्यक्रम पर आधारित उन कला समेकित पद्धतियों को प्रदर्शित करना है जिन्हें शिक्षकों द्वारा विकसित एवं प्रयुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित करने एवं उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में कला उत्सव का आरंभ किया गया था तथा "समृद्धि" इसी उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एन.सी.एफ-एस.ई 2023 की अनुशंसाओं के अनुरूप "समृद्धि" का उद्देश्य उन शिक्षकों के योगदान को पहचानना एवं प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने अलग-अलग विषयों के शिक्षण को कला आधारित बनाकर शिक्षण अनुभवों को सफलता प्रदान करने का कार्य किया है।

कला समेकित शिक्षणशास्त्र की प्रमुख विशेषताएँ-

- कला का समेकन - विषयों की अवधारणाओं के साथ कला रूपों का प्रभावी मिश्रण।
- विद्यार्थी की प्रतिभागिता - सक्रिय सहभागिता एवं व्यावहारिक अनुभव।
- अनुभवात्मक शिक्षा - वास्तविक जीवन के संदर्भों में सीखना।
- आलोचनात्मक समझ का विकास - गहन चिन्तन एवं विश्लेषण की क्षमता।

"समृद्धि 2025" की विषयवस्तु

- "समृद्धि 2025" की विषयवस्तु कला के माध्यम से समावेशी शिक्षा है। समावेशन एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। कला के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर अपने फोकस के साथ, समृद्धि एक ऐसे शैक्षिक भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो।

जिला स्तरीय समृद्धि 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निम्न निर्देशों की पालना की जाए-

- प्रत्येक जिले के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के साथ जिला स्तरीय समृद्धि 2025 का आयोजन किया जाना है।
- प्रत्येक जिले के माध्यमिक शिक्षकों की कुल संख्या के अनुपात में राज्य स्तर पर प्रविष्टियाँ स्वीकार की जायेंगी। राज्य स्तर पर बड़े जिलों से एक से अधिक टीम भाग ले सकेंगी।
- एक टीम में अधिकतम 2 शिक्षक भाग ले सकते हैं - प्रमुख प्रविष्टि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) में पढ़ाने वाले विषय शिक्षक की होगी एवं दूसरा शिक्षक (वैकल्पिक) उसी विद्यालय से, दृश्य कला/संगीत/नृत्य/नाट्य विषय का नियमित शिक्षक हो सकता है।

कापिलप मुख्प ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजगढ़ जलपर

क्रमांक- 95/

दिनांक 27/8/25

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के पसारित दिशा निर्देशों की पालना अंतर्गत समस्त PEEO एवं UCEE0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कारित माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को जिला स्तरीय समृद्धि 2025 उत्सव में भाग लेने के लिये प्रेरित करें एवं उनके नाम दिनांक 28-8-2025 को लिखित रूप से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से प्रेषित करें।

Bal Raj Ref No.

16883761

eSign DSC

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
जयपुर

- जिन शिक्षकों ने समृद्धि 2024 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे समृद्धि 2025 में प्रतिभागिता के लिए मान्य नहीं होंगे।
- शिक्षकों को एक परियोजना प्रस्ताव रास्कूलशिप जयपुर के गुणवत्ता प्रकोष्ठ को पहले ही प्रेषित करना होगा जो कक्षा 9-12 के किसी भी विषय क्षेत्र (विज्ञान, मानविकी, भाषाएं, गणित, वाणिज्य आदि) के किसी भी विषय क्षेत्र को ललित कला रूपों की किसी कलात्मक अभिव्यक्ति के सौन्दर्य बोध के साथ समाहित किया गया हो।
- परियोजना प्रस्ताव शिक्षक के कक्षा शिक्षण अभ्यास पर आधारित होगा, जिसका सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।
- प्रस्तुति के लिए किसी भी कला रूप (दृश्य कला/संगीत/नृत्य/नाट्य) को समेकित किया जा सकता है। साथ ही आईसीटी के प्रयोग भी अनुमति होगी।
- परियोजना प्रस्ताव 500 शब्दों (फॉन्ट— कोकिला, फॉन्ट आकार — 16) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव में प्रस्तुति की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया जाना है तथा कक्षा-अभ्यास का फोटोग्राफ (JPG प्रारूप)/वीडियो लिंक (MP 4 प्रारूप) होना चाहिए।
- परियोजना प्रस्ताव और उसका प्रस्तुतीकरण हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा। सभी शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) जो उपयोग की जाएगी उसे योजना/प्रस्ताव में उल्लेखित किया जाए।
- विद्यार्थियों की सहभागिता को भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए। प्रयोग की गयी कला विधि/साज-सज्जा विद्यार्थियों की आयु के अनुकूल होनी चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को कम से कम 3. एवं अधिकतम 6 प्रॉप्स(ग्रंथ सामग्री) रखने की अनुमति है।
- प्रस्तुति के लिए आवंटित समय 20 मिनट है और निर्णायक मण्डल के साथ बातचीत के लिए 5 मिनट दिये जायेंगे। (कुल 25 मिनट)

समृद्धि 2025 में प्रतिभागिता हेतु पात्रता—

- कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षक, जो किसी भी राजकीय या निजी विद्यालयों में शिक्षण करते हैं, वे समृद्धि 2025 में प्रतिभागिता कर सकेंगे।
- केन्द्रीय राजकीय संगठनों जैसे — केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रेलवे सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेना, वायुसेना एवं अन्य संस्थाएं जो राज्य में स्थित हैं, वे जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर सकेंगी एवं राज्य स्तर पर विजयी टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता करेंगी।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय अपनी आंतरिक प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे एवं उनकी विजयी टीम राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग टीमों के रूप में प्रतिभागिता करेंगी।
- प्रतिभागी शिक्षकों को न्यूनतम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना आवश्यक है।

समय सारणी—

- जिला स्तर पर समृद्धि का आयोजन दिनांक 05-14 अगस्त, 2025 तक एक दिवसीय किया जाना है।

- जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता प्रतिभागियों का विवरण दिनांक 25 अगस्त 2025 तक राज्य स्तर पर भिजवाया जायेगा।
- राज्य स्तर पर समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 01 से 10 सितम्बर, 2025 के मध्य किया जायेगा। आयोजन स्थान की सूचना पृथक से प्रेषित कर दी जायेगी।
- राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूचना प्रपत्र-अ और प्रपत्र-ब में भिजवाई जाये।

वित्तीय प्रावधान:-

- जिला स्तर पर होने वाले समृद्धि कार्यक्रम के आयोजन का व्यय वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2025-26 में अनुमोदित Rangotsav मद से किया जायेगा। उक्त गतिविधि हेतु 25,000/-रूपये का व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर स्थानीय स्तर पर भामाशाहों से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को प्रमाण-पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जायेगी।
- वित्तीय प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1	बैठक व्यवस्था, टेण्ट सामग्री आदि	5000
2	मंच सजावट, माइक, वाद्य यन्त्र व्यवस्था	3000
3	अल्पाहार एवं मध्यान्ह भोजन	7000
4	नगद पुरस्कार - प्रथम स्थान - 2100 रुपये, द्वितीय स्थान - 1100 रुपये, तृतीय स्थान - 500 रुपये	3700
5	मेडल/ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र	1300
6	प्रचार - प्रसार, बैनर	2000
7	कन्टिजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एवं अभिलेख संधारण	3000
कुल योग		25000

मदवार उपलब्ध कराई जा रही राशि में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। उपरोक्त राशि 25000 रुपये प्रति जिला, कुल 33 जिलों के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। जिला स्तरीय कार्यक्रम 33 जिलों द्वारा आयोजित किया जाना है।

समृद्धि हेतु राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH PORTAL (<https://samagrashiksha.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन एवं लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

सामग्री/विषय (5) कला और शिल्प के संदर्भ में योजना की उपयुक्तता (15)	शिक्षण शास्त्र की प्रासंगिकता (पर्यावरण/संस्कृति/स्थानीय कला और शिल्प से जुड़ाव)	विद्यार्थियों की कला अनुभव में सहभागिता	प्रक्रियाएँ	प्रस्तुति कौशल	कुल अंक
20	20	20	20	20	100

जिला स्तर पर निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा

1. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में निर्णायक मण्डल का गठन होगा – जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), प्रधानाचार्य डाइट एवं विषय विशेषज्ञों सहित कला/गतिविधि से सम्बन्धित विशेषज्ञों को शामिल किया जाये।

राज्य स्तर पर निर्णायक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :-

राज्य परियोजना निदेशक/प्रतिनिधि – समग्र शिक्षा	अध्यक्ष
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, (आयोजक जिला से संबंधित संभाग)	सदस्य
प्रतिनिधि – निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर	सदस्य
प्रतिनिधि – आरएससीईआरटी, उदयपुर	सदस्य
विषय विशेषज्ञ	सदस्य

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त
दिनांक 31/7/2025

क्रमांक-रा.स्कूल.शि.प/जय/गुणवत्ता/समृद्धि/2025-26/16883761

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
10. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त, पीईईओ/यूसीईईओ।
12. कार्यालय प्रति।

समृद्धि 2025 में शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण
प्रपत्र - अ

जिला

विवरण	विषय शिक्षक	कला शिक्षक
नाम (बड़े अक्षरों में)		
पासपोर्ट आकार का फोटो		
जन्म तिथि		
स्थायी पता		
आधार नम्बर		
ईमेल		
मोबाइल नम्बर		
पदनाम		
पढ़ाये जा रहे विषय और कक्षाएँ		
विद्यालय का नाम और पता		
विद्यालय का यू-डायस		
नियुक्ति की तिथि		
वर्तमान भूमिका में अनुभव		
श्रेणी - (सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी/अन्य)		
दिव्यांग (हाँ/नहीं)		
बैंक विवरण		
PAN नम्बर		
बैंक का नाम		
खाता नंबर		
IFSC कोड		
बैंक पासबुक या कैन्सिल चेक की फोटो		

स्मृद्धि हेतु अवधारणा नोट का प्रारूप

कृपया प्रस्तुति का प्रस्ताव लेख संलग्न करें, जिसमें प्रस्तुति की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट किया गया हो।

(फॉन्ट – कोकिला, फॉन्ट आकार – 16, शब्द सीमा – 500 शब्द अधिकतम)

गतिविधि का विवरण

प्रपत्र – ब

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिक्षक निम्नलिखित प्रारूप में गतिविधि का विवरण भरें –

विवरण	विषय शिक्षक	कला शिक्षक
विषय		
क्षेत्र/विषय		
पाठ्यचर्या लक्ष्य		
दक्षताओं का मानचित्र		
सीखने के प्रतिफल		
अवधारणा की समझ हेतु कलाओं के विभिन्न घटकों का उपयोग		
प्रक्रियाएँ एवं कार्य नीतियाँ (500 शब्दों में लेख एवं अधिकतम 5 स्पष्ट फोटो संलग्न करें।)		
प्रयुक्त संसाधन		
आकलन		
अनुवर्ती गतिविधि		
समीक्षा		